नियुक्त की गई आय-वितरण और जीवन-स्तर सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत की गई है। ये दोनों भाग अंग्रेजी में मुद्रित और प्रकाशित किये जा चुके हैं। तथापि रिपोर्ट के अन्तिम भाग का हिन्दी रूपान्तर तैयार किया जा रहा है।

(ख) इस रिपोर्ट के दोनों भाग सभा पटल पर पहले ही रखे जा चुके हैं। रिपोर्ट के दूसरे भाग में की गई सिफारिशों की जांच और छानबीन की जा रही है।

Trade with Pakistan

545. SHRI HIMATSINGKA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether prospects for resuming trade with Pakistan have been explored in recent months ;

(b) if so, the steps taken in this regard during the last three months ;

(c) the latest prospects of resuming trade with Pakistan and whether ban on trade is likely to go by October, 1970 ; and

(d) the likely extent of trade to be exchanged with that country during 1970-71 ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI RAM SEWAK) : (a) to (c). The Government of India have on a number of occasion taken up the question of resumption of trade between the two countries, but without success. Ban on trade with Pakistan was unilaterally lifted by India in May, 1966 but the Government of Pakistan have not reciprocated this gesture so far. Resumption of trade between the two countries is thus entirely dependent on the attitude of the Government of Pakistan. It is not possible to say whether the Government of Pakistan would lift the ban on trade with India by October, 1970.

(d) This will arise only if trade with Pakistan were resumed.

Talks with Pakistan on Farakka and Eastern Rivers

546. SHRI HIMATSINGKA :
SHRI TRIDIB KUMAR CHAUDHURI :
SHRI SHIVA CHANDRA JHA :
SHRI GEORGE FERNANDES :
SHRI MANIBHAI J. PATEL :
SHRIMATI ILA PAL-CHOUDHURI :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether talks were recently held with Pakistan about the Farakka Barrage and the use of the Eastern rivers ;

(b) if so, at what level ; and

(c) the result thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) to (c). The third Secretary-level talks on the Farakka Barrage and other projects on the Eastern rivers were held in July, 1969 in Delhi. The Minister for Irrigation and Power had laid a statement regarding these talks on the Table of the house on July 28th 1969. The fourth Secretary-level talks are taking place at present in Islamabad. The results of these talks can only be known after they are concluded.

मध्य प्रदेश सिंचाई परियोजनाओं के लिये धन

548. श्री नाथू राम अहिरवार : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधूरी मध्यम तथा बड़ी सिंचाई योजनाओं के अलावा नई सिंचाई के लिए मध्य प्रदेश ने कितना धन मांगा है ;

(ख) जो धन मांगा गया है उसके लिए योजनावार कितना धन नियत किया गया है ; और

(ग) उस राज्य को ऋण तथा अनुदान के रूप में कितना धन दिये जाने की संभावना है ; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). मध्य

प्रदेश सरकार ने अन्तिम चौथी योजना में सिंचाई कार्यक्रम के लिए 83.06 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। उन्होंने स्कीम-वार पृथक-पृथक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं।

(ग) राज्यों को चौथी योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों/ऋणों के रूप में दी जायेगी और अलग अलग स्कीमों के लिये नहीं दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनायें

549. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में मध्य प्रदेश में नई सिंचाई योजनाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधायें समूचे देश से कम हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन का मुख्य कारण सिंचाई सुविधाओं का अभाव है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार मध्य प्रदेश में विचाराधीन नई सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन देगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मध्य प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में कुल 355.96 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव था जिसमें से नई स्कीमों के लिए 3.44 करोड़ रुपये समेत वृहद तथा मध्यम सिंचाई कार्यक्रमों के लिए 61 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रबन्धित था।

पांचवें वित्त आयोग के पंचाट के पश्चात योजना आयोग राज्य की योजना का पुनः मूल्यांकन कर रहा है और यह आशा की जाती है कि नई स्कीमों के लिए कुछ अतिरिक्त धन उपलब्ध हो जायेगा।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). सिंचाई और बिजली परियोजनाएं राज्य की योजना का एक भाग है। राज्यों में कुल केन्द्रीय सहायता का वितरण इस आधार पर किया जाता है--60% जन संख्या के आधार पर, 40% प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, 10% प्रति व्यक्ति आय के संबंध में प्रति व्यक्ति करों के आधार पर, 10% पहली योजनाओं से चली आ रही वृहद सिंचाई और बिजली स्कीमों के लिए और 10% राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए धनराशि

550. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ;

(ख) उसका राज्यवार ब्योरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). 1969-70 से पूर्व राज्य सरकारों को पृथक-रक्षित केन्द्रीय सहायता ग्राम विद्युत स्कीमों के लिए राज्य की योजना के लिए निर्धारित राशियों में से दी जाती थी। 1969-70 से इस प्रकार की पृथक-रक्षित सहायता के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती और इसके सम्बन्ध में परिव्यय की व्यवस्था राज्य सरकारों के योजना से सम्बन्धित संसाधनों में से की जाती है जिसमें उनको दी गई सम्पूर्ण केन्द्रीय सहायता भी शामिल है। राज्यों द्वारा प्रस्तावित परिव्यय